

## कार्यालय : सचिव परीक्षा नियमक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश,

23 एलनगंज, प्रयागराज, पिन कोडः— 211002

दूरभाष सं० / फैक्स नं०— 0532-2467504, 0532-2466769 Website: <http://updeled.gov.in>  
ई-मेल आई डी:- secretaryppn.up@gmail.com

### विज्ञप्ति

दिनांक 08.01.2020 को आयोजित छोप्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2019 की परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपुस्तिकाओं के चारों सीरीज की प्रकाशित उत्तरसमाला का अपलोडकर्ता अध्यक्ष नियामित वेबसाइट <http://updeled.gov.in> पर दिनांक 14.01.2020 के अपराह्न से कर सकते हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित उत्तरसमाला के क्रम में यदि इच्छुक अध्यक्ष कोई आपत्ति संज्ञान में लाना चाहते हैं तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 17.01.2020 तक निर्दिष्ट वेबसाइट [updeled.gov.in](http://updeled.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन संज्ञान में ला सकते हैं—

1. शासनादेश 755 / अरसठ-4— 2019-2020 वेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 17.10.2019 के बिन्दु सं० 18.11 में दिये गये निर्देशानुसार अध्यक्षों को प्रकाशित उत्तरसमाला के प्रति आपत्ति दर्ज कराये जाने हेतु प्रति प्रश्न रु० 500 की दर से ऑनलाइन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। आपत्ति शुल्क ऑनलाइन जमा करने हेतु स्टेट बैंक औफ इण्डिया का लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति शुल्क जमा नहीं किये जाने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. अध्यक्ष द्वारा ऑनलाइन दर्ज करायी गयी आपत्ति, विषय विशेषज्ञों द्वारा सही पाये जाने पर, अध्यक्ष द्वारा भुगतान की गयी धनराशि परीक्षाकाल घोषित होने के उपरान्त अध्यक्षों को ऑनलाइन वापस (Refund) कर दी जाएगी। लेकिन दर्ज करायी गयी आपत्ति सही नहीं पाये जाने पर अध्यक्ष द्वारा प्रति प्रश्न की दर से भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस (Refund) नहीं किया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अध्यक्ष विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तरसमाला पर आपत्ति दर्ज करने से पूर्ण भली-भौति सुनिश्चित हो जाए।
3. अध्यक्षों द्वारा ऑनलाइन दर्ज करायी गयी आपत्तियों पर विषेषज्ञों द्वारा प्राप्त अनिमत के अनुसार उत्तरसमाला को अद्यतन् करते हुए अंतिम उत्तरसमाला प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तरसमाला के प्रकाशन के उपरान्त, प्रकाशित उत्तरसमाला के क्रम में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएं।
4. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी भी प्रकार के साझ्य / अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किये जाएं। अध्यक्ष आपत्ति के साथ के रूप में Book Reference का नाम प्रस्तुत के सामने अस्वीकार नहीं की जायेगी।
5. आपत्ति केवल निर्दिष्ट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार की जायेगी। व्यवितरण, पत्राचार एवं नोवाइल आदि किसी अन्य माध्यम से कोई भी आपत्ति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी। नियामित अंतिम तिथि 17.01.2020 के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति / प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं की जायेगी।

Remark विकल्प पर अंकित कर सकते हैं।

1. आपत्ति केवल निर्दिष्ट वेबसाइट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —
  - 1. निजी साचिव, अपर मुख्य सचिव, वेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-4, उ०९५० शासन, लखनऊ।
  - 2. विशेष साचिव, वेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-4, उ०९५० शासन लखनऊ।
  - 3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०९५० लखनऊ।
  - 4. निदेशक, राज्य रौशिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०९५० लखनऊ।
  - 5. श्री एम०९० इदरिस, यशेष तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 हेतु प्रकाशित उक्त विज्ञप्ति एवं उत्तर मात्रा को नियामित वेबसाइट पर अपलोड करने तथा ऑन लाइन आपत्ति प्राप्त करने सम्बन्धित सम्बुद्धित कार्यवाही करने की कृपा करें।

*सचिव १५.१.२०२०*

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

*सचिव १३.०१.२०२०*

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

*सचिव १३.०१.२०२०*

1. निजी साचिव, अपर मुख्य सचिव, वेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-4, उ०९५० शासन, लखनऊ।
2. विशेष साचिव, वेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-4, उ०९५० शासन लखनऊ।
3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०९५० लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य रौशिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०९५० लखनऊ।
5. श्री एम०९० इदरिस, यशेष तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 हेतु प्रकाशित उक्त विज्ञप्ति एवं उत्तर मात्रा को नियामित वेबसाइट पर अपलोड करने तथा ऑन लाइन आपत्ति प्राप्त करने सम्बन्धित सम्बुद्धित कार्यवाही करने की कृपा करें।

*सचिव १५.१.२०२०*

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

*सचिव १३.०१.२०२०*